6.11.24

.... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं.

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली जामकर तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सॉगोद जिला कोटा।

बइजलास रामावतार मीणा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 २१/2024 प्रार्थना पत्र/बउनवान/लक्ष्मीनाथ/राज्य सरकार

लक्ष्मीनाथ मीणा पुत्र रामचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा।
—वादी—

—बनाम—

राज्य सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद जिला कोटा। —अप्रार्थी—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

—:: निर्णय ::— दिनॉक :- 06/11/2024

प्रार्थी की ओर से इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र इस आशय पर प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 467/2 रकबा 1.36 हैक्टर, खसरा नंबर 469 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नंबर 470/2 रकबा 0.80 हैक्टर कुल किता 3 की कुल 2.47 हैक्टर आराजी वाके ग्राम हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है। प्रार्थी का वास्तविक नाम "लक्ष्मीनाथ" है किन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम "लक्ष्मीनारायण" अंकित है जबकि प्रार्थी के आधारकार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, जनआधार कार्ड, पेनकार्ड, राशनकार्ड, पेंशन किट एवं अन्य राजकीय दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम "लक्ष्मीनाथ" अंकित है किन्तु राजस्व रिकार्ड में व राजकीय दस्तावेजों में अंकित प्रार्थी के नाम में भिन्नता होने से प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में परेशानी का सामना करना पडता है। उक्त संबंध में प्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का से प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया तो उन्होने न्यायालय के आदेश के बिना इन्द्राज दुरूस्त करने में असमर्थता जाहिर की है। ऐसी परिस्थितियों में उक्त राजस्व त्रुटि को न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अतः वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी के नाम "लक्ष्मीनारायण" को दुरूस्त किया जाकर वादी का सही नाम "लक्ष्मीनाथ" अंकित करने के आदेश फरमाये जावें तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थी की ओर से उपरोक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। वाद तलबी अप्रार्थी तहसीलदार की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने में सहमति प्रकट की। पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारों के अभिवचनों, रेकार्ड, दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करना उचित समझता हूं।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सॉगोद, जिला- कोटा

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर माल ग्राम हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 467/2 रकबा 1.36 हैक्टर, खसरा नंबर 469 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नंबर 470/2 रकबा 0.80 हैक्टर कुल किता 3 की कुल 2.47 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी के नाम "लक्ष्मीनारायण" को दुरूस्त किया जाकर वादी का सही नाम "लक्ष्मीनाथ" अंकित करने के आदेश फरमाये जावें तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 06/11/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner